



Real Estate | भू-संपदा
Regulatory Authority | विनियामक प्राधिकरण
Madhya Pradesh | मध्यप्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556760
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2024/II-P/A-05/F-491 - 3595 भोपाल, दिनांक 20 अगस्त, 2024

प्रति,

कल्पतरू सोल्यूशन प्रा.लि.,
सम्प्रवर्तक,
एम जेड-5, डीएम टॉवर 21/1,
रेस कोर्स रोड, इंदौर (म.प्र.)-452001

विषय: परियोजना- "एम आर के सिटी" इंदौर (Ref. No. 141512357619) के
पंजीयन के संबंध में।

-O-

कृपया आपके विषयांकित आवेदन का स्मरण करें।

परियोजना- "एम आर के सिटी" इंदौर के पंजीयन के लिए आपके आवेदन को
प्राधिकरण ने दिनांक **08-08-2024** को स्वीकार किया है, जिस पर आपको परियोजना
पंजीयन क्रमांक **P-IND-24-4982** आवंटित किया गया है।

प्राधिकरण के निर्देश के अनुपालन में आपको सूचित किया जाता है कि :-

प्राधिकरण द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की
धारा 37 के अंतर्गत निदेश दिनांक **08-08-2024** को जारी करते हुए भू-संपदा परियोजना
का पंजीयन स्वीकार किया है, अतः आप अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और
दिए गए निदेशों का पालन सुनिश्चित करें।

प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक **08-08-2024** की प्रमाणित प्रति एवं
परियोजना पंजीयन प्रमाण, पत्र के साथ **संलग्न** है।

संलग्न -

1. प्राधिकरण के आदेश दिनांक 08-08-2024 की सत्यप्रति,
2. परियोजना पंजीयन प्रमाण पत्र मूलतः।

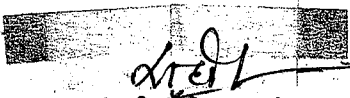
(डी.व्ही. सिंह)

सचिव

म०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

म-प्र-भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, भोपाल

आदेश-पत्रिका

कार्यवाही की तारीख: स्थान	आदेश
08.08.2024	प्रोजेक्ट का नाम — MRK City, Indore. सम्प्रवर्तक का नाम — Kalptaru Solution Private Limited, Indore. प्रोजेक्ट आई डी — 141512357619 1- प्रस्तुत प्रकरण में प्राधिकरण के सूचना पत्र क्रमांक- 3267 दिनांक 30.7.2024 के अनुक्रम में आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर पंजीयन अधिकारी की संक्षेपिका दिनांक 07.8.2024 के अनुसार बिन्दु क्रमांक- 03 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आई.टी.आर. वित्तीय वर्ष 2022-23 एस्सिमेन्ट वर्ष 2023-24 के प्रस्तुत किये गये हैं, वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने से पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है। 2- प्रकरण में आवेदक- Kalptaru Solution Private Limited, Indore हैं जो कि कम्पनी श्रेणी के आवेदक है के द्वारा परियोजना- MRK City, Village Jamnya Khurd Tehsil Bhicholi Hapsi District Indore का पंजीयन भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 धारा 4 (2) एवं म.प्र. भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम 3 के अंतर्गत वांछित अपेक्षित परियोजना विवरण, सक्षम प्राधिकारी की प्रतियां एवं शपथ पत्र समर्थित घोषणाएं प्रस्तुत की गई हैं। परियोजना Village Jamnya Khurd Tehsil Bhicholi Hapsi District Indore के खसरा क्रमांक- 31/1/1, 31/1/2 & 31/1/3 कुल रकबा- 1.933 हेक्टेयर पर प्रस्तावित है। पंजीयन अधिकारी की संक्षेपिका अनुसार भूमि आवेदक कम्पनी के स्वामित्व की है तथा आवेदक कम्पनी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र फार्म बी की हार्डकॉपी के अनुसार भाररहित है। 3- परियोजना नवीन हो कर भूखण्ड विकास से संबंधित है जिसमें कुल रकबा- 1.933 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रुपये 444.05 लाख की लागत से विकसित की जानी है, जिसमें सामान्य- 130, ई.डब्ल्यू.एस.- 09, एल.आई.जी.- 06 एवं आवासीय सह व्यवसायिक- 06 कुल- 151 भूखण्ड विकसित किये जाने हैं। वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने से पंजीयन हेतु विचाराधीन आवेदन अधिनियम की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर स्वीकार किया जाता है। परियोजना की पूर्णता तिथि आवेदन में दर्शाये अनुसार दिनांक 04.12.2026 है, जो मान्य की जाती है। अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 9, 14, 15, 16 में वर्णित सम्प्रवर्तक के कृत्य एवं कर्तव्यों का पालन सम्प्रवर्तक द्वारा किया जाएगा। आई.टी. ऑपरेटर ऑनलाईन प्रविष्टि करे एवं सचिव प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही की जाये।  (सुरेन्द्र सिंह राजपूत) सदस्य  (ए.पी. श्रीवास्तव) अध्यक्ष

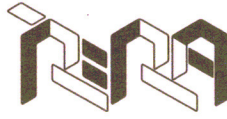
सत्यापित

प्र.अ.प्र. सचिव (परियोजना)
 म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
 भोपाल (म.प्र.)

क्र. 31/18/14
 9/8/24

MD/3321/24
 08/08/2024
 9/8/24

sec/5433
 8/8/24



रेरा भवन, अरेरा हिल, भोपाल, दूरभाष : 0755-2556340, 2556760

Website : www.rera.mp.gov.in, Email id : secretaryrera@mp.gov.in

प्ररूप - ग, नियम 6-(1)

परियोजना का पंजीयन प्रमाण पत्र



यह पंजीयन अधिनियम की धारा -5 के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजना के लिये दिया जा रहा है

पंजीयन क्रमांक : **P-IND-24-4982**

परियोजना का नाम : **एमआरके सिटी, इन्दौर**

परियोजना का विवरण पता सहित :

1. व्यक्ति के मामले में : श्री/श्रीमती पुत्र श्री/श्रीमती
..... तहसील जिला राज्य

अथवा

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी के मामले में : **कल्पतरु सोल्यूशन प्रा.लि. इन्दौर**

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी, इसका पंजीकृत कार्यालय/व्यापार का मुख्य स्थान **एमजेड-5, डीएम टॉवर, 2/1**

रेसकोर्स रोड, इन्दौर-म.प्र.

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है :

- संप्रवर्तक आवंटितियों के साथ विक्रय अनुबंध करेगा, जैसा कि मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के अनुलग्नक-A में प्रविहित किया गया है।
- संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-17 के अनुसार आवंटितिगण या उनके संगम के पक्ष में, जैसा भी मामला हो, प्रकोष्ठ या परियोजना के सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित अनुपातिक हक सहित हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा और इसका पंजीकरण करायेगा।
- संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-4 उपधारा-(2) खण्ड (I) उपखण्ड (D) के प्रावधान अनुसार आवंटितिगण से वसूली गई रकमों का 70 प्रतिशत, केवल निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये, एक अनुसूचित बैंक में बनाये रखे जाने वाले पृथक खाते में जमा करेगा।
- पंजीयन दिनांक **09-08-2024** से प्रारंभ होकर दिनांक **04-12-2026** तक की अवधि के लिये विधिमान्य रहेगा, जब तक कि इसे भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-7 और मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम-7 के अनुसार नवीकृत न कर दिया जावे।
- संप्रवर्तक अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।
- संप्रवर्तक, जिस क्षेत्र में परियोजना का विकास किया जा रहा है वहां की अन्य किसी विधि के तत्समय प्रभावी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

3. यदि संप्रवर्तक ऊपर उल्लेखित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण संप्रवर्तक के विरुद्ध अधिनियम, नियमों के प्रावधानों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, जिसमें उसे प्रदान किये गये पंजीयन का प्रतिसंहरण भी सम्मिलित किया जा सकता है।

4. उक्त परियोजना प्रकरण भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा 9,11,13,14,15 एवं 16 में उल्लेखित प्रावधानों के अधधीन मान्य किया जाता है।

दिनांक **14-08-2024**

स्थान : भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण